I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 06/07/2018 18:05 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	175
3	IPC 1860	192
4	IPC 1860	193
5	IPC 1860	201
6	IPC 1860	204
7	IPC 1860	218
8	IPC 1860	409
9	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1) (e)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/07/2018 **Time (समय):** 17:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 06/07/2018 17:40 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 110 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): YAMUNA NAGAR,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP DEEPAK KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1973 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SVB UNIT YAMUNA NAGAR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	SVB UNIT YAMUNA NAGAR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 0

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	KULWANT SINGH DEEPO HOLDER		Father's Name: SH JOGENDER SINGH	1. VILL RAM GARH MAJRA,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
2	RAM SINGH HELPER		Father's Name: SH NANDA RAM	1. VILL RAM GARH MAJRA,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला श्रीमान जी, निवेदन है कि जाँच क्रमाक 01 दिनांक 09.02.2017 यमुनानगर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चण्डीगढ के पत्र क्रमाक 55/5/17-3 चौकसी (11) दिनांक 02.02.2017 की अनुपालना में व कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के पत्र क्रमांक 1910/1-1/रा.चौ. ब्यूरो (ह) दिनांक 13.02.2017 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतू प्राप्त हुई थी । जिसमें आरोप था कि कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर गाँव रामगढ माजरा द्वारा गाँव के बी.पी.एल. राशन कार्ड धारक को दाल व गेहूँ कम मात्रा में देना और डिपू पर कुलवन्त सिंह खुद राशन वितरित न करके राशन राम सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा वितरित करवाना और जिसकी जाँच सहायक खादय एंव आपूर्ति विभाग जगाधरी द्वारा करने पर डिपू की सप्लाई रोकना तथा कोई कार्यवाही न करना । जिसकी पडताल से पाया गया कि वर्ष 2011 में कुलवन्त सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह वासी रामगढ माजरा द्वारा अपने गाँव व राशन डिपू लेने के लिए खादय एंव आपूर्ति नियन्त्रक यमुनानगर में आवेदन किया गया जिस पर जिला खादय एंव आपूर्ति नियन्त्रक यमुनानगर द्वारा डिपू का लाईसेंस न0 पी.डी.एस. 744 जारी करने पर जिला खादय एंव आपूर्ति नियन्त्रक यमुनानगर द्वारा डिपू पर राशन कार्डो के आधार पर गेहूँ, दाल, चीनी, भिजवाई जानी पाई गई है और गेहूँ व दाल, चीनी के इन्द्राज समय-2 पर कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर व उसके हैल्पर राम सिंह द्वारा डिपू स्टाक रजिस्टर व उसके हैल्पर राम सिंह के कथन अनुसार इन्द्राज किया जाना बतलाया गया और प्राप्त राशन व राशन वितरित करने पर राशन स्टाक रजिस्टर को समय -2 पर निरीक्षक/उप. निरीक्षक खादय एंव आपूर्ति बिलासपुर द्वारा चैक करना भी बतलाया गया परन्तु वर्ष 2011 में सरकार के एलोकेशन के अनुसार AAY कार्ड को 35 किलो गेहूँ, 2.5 किलो दाल प्रति कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड धारक को 5 किलो गेहूँ प्रति मैम्बर व 2.5 किलो दाल प्रति कार्ड दी जानी जरूरी थी और जनवरी 2016 से जून 2016 तक 202.55 क्विंटल गेहूँ तथा जनवरी 2016 से 5.10 क्विंटल व जून 2016 में 10.20 क्विंटल कम राशन कार्ड धारकों की एलोकेशन अनुसार 5 किलो दाल की बजाय 2/3 किलो दाल दिये जाने पर गाँव के AAY व BPL राशन कार्ड धारकों द्वारा सरपंच के माध्यम से डिपू होल्डर के खिलाफ सी.एम. विण्डों पर शिकायत करने पर शिकायत की जाँच सहायक खादय एंव आपूर्ति विभाग द्वारा की

जानी पाई गई और जाँच रिपोर्ट के अनुसार 10 बी.पी.एल. कार्ड धारकों के कथन अनुसार डिपो होल्डर द्वारा दो माह में केवल एक बार गेहूँ व 3 किलो दाल देने पर सहायक खादय एंव आपूर्ति विभाग द्वारा रिपोर्ट जिला खादय एंव आपूर्ति नियन्त्रक यमुनानगर के पास भेजी जानी पाई गई और जिला खादय एंव आपूर्ति नियन्त्रक यमुनानगर द्वारा कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर के डिपू की राशन सप्लाई बन्द करके फिर दिनांक 20.01.2017 को बिलासपुर निरीक्षक खादय की रिपोर्ट पर डिपू होल्डर को सतर्क रहने की कडी चेतावनी देकर डिपू की सप्लाई तैयार की जानी पाई गई । पडताल पर यह भी पाया गया कि सी.एम. विण्डों से कुलवन्त डिपो होल्डर के विरुद्ध चौकसी विभाग में दिनांक 29.08.2016 को शिकायत प्राप्त होने पूर्व जाँच अधिकारी निरीक्षक प्रेम चन्द द्वारा दौराने तसदीक दिनांक 13.11.2016 को डिपू होल्डर का रिकार्ड मंगवाने के लिए जिला खादय आपूर्ति नियन्त्रक यमुनानगर को लिखा जाने पर नरेश कुमार निरीक्षक खादय एंव आपूर्ति विभाग बिलासपुर के कथन अनुसार जिला खादय एंव आपूर्ति निरीक्षक के निर्देश पर उसने कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर को दिनांक 25.11.2016 को डिपू का रिकार्ड प्रस्तुत करने बारे सूचित किया था । जिस पर कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर के कथन अनुसार वह अकेला मोटरसाईकिल पर डिपू का रिकार्ड थैला में बांधकर कार्यालय खादय एंव आपूर्ति बिलासपुर में आ रहा था और रास्ते में रिकार्ड गुम/थैला गिर जाने पर उसने थाना बिलासपुर में डी.डी.आर. लिखवा कर निरीक्षक के हवाले की जानी बतलाई गई। परन्तु जाँच के दौरान कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर व उसका हैल्पर राम सिंह के कथन अनुसार वह दोनो एक ही मोटरसाईकिल पर निरीक्षक खादय एंव आपूर्ति विभाग के कहने पर डिपू का रिकार्ड थैले में मोटरसाईकिल पर बाँधकर बिलासपुर जाते समय रास्ते में रिकार्ड थैला गिर जाने पर निरीक्षक नरेश कुमार के कार्यालय बिलासपुर में जाकर रिकार्ड गुम होना बलताकर तथा रिकार्ड की छानबीन करने उपरान्त दिनांक 31.11.2016 को गुम रिकार्ड की रपट थाना बिलासपुर में दर्ज करवाकर बतलाया गया । जो शिकायत की तसदीक व जाँच के दौरान दिए गए ब्यानों में भिन्नता होनी पाई गई । पडताल में यह भी आवश्य पाया गया कि कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर व उसके हैल्पर राम सिंह वासी रामगढ माजरा के डिपू पर माह जनवरी 2016 से जून 2016 तक भिन्न -2 माह में कुल 293 किवंटल 55 किलो गेहूँ व 15 किवंटल 30 किलो दाल खादय एंव आपूर्ति विभाग यमुनानगर से प्राप्त होनी पाई गई है परन्तु AAY व BPL राशन कार्ड धारकों द्वारा जाँच में दिए गये कथनों वा सहायक खादय आपूर्ति जगाधरी की जाँच भी दिये गये कथनों अनुसार डिपू होल्डर व उसके हैल्पर द्वारा राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा जारी एलोकेशन हिदायत अनुसार 15 किलो दाल न देकर 3/3 किलो दाल तथा दो माह में एक बार गेहूँ दी जानी बतलाई गई है । परन्तु कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर व उसके हैल्पर राम सिंह द्वारा वितरित राशन का तथा कुछ राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डो में किलो ग्राम न लिखकर केवल गेहूँ व दाल लिखी जानी और कुछ राशन कार्डो में माह अनुसार गेहूँ व दाल का इन्द्राज न करके शिकायत तसदीक के दौरान डिपू होल्डर से पूर्व जाँच अधिकारी द्वारा रिकार्ड मांगने पर तथा कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर व उसके हैल्पर राम सिंह द्वारा आपस में मिलकर डिपू का रिकार्ड प्रस्तुत न करके अपने बचाव के लिए डिपू का रिकार्ड जानबुझकर गुम करना दिखाकर अपराध 13(1)(C) PC ACT Section 175,192,193,201,204,218,409 120 B भा0द0स0 किये जाने पर रिपोर्ट कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों (ह) पंचकुला को भिजवाई गई थी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमाक 55/5/17-3 चौकसी -11 दिनांक 07.06.2018 व कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) पंचकुला के पत्र क्रमांक 8360/1-6/रा.चौ.ब्यू(ह) दिनांक 21.06.2018 अनुसार श्री कुलवन्त सिंह डिपू होल्डर पुत्र जोगेन्द्र सिंह व उसके हैल्पर राम सिंह पुत्र नंदा राम वासीयान रामगढ माजरा जिला यमुनानगर के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त होने पर तहरीर तैयार करके वैट करवाने हेतू राज्य चौकसी ब्यूरों हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी जो महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) पंचकुला के पत्र क्रमाक 8972/1-6/रा.चौ.ब्यू(ह) दिनांक 03.07.2018 अनुसार वैट होकर पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों पंचकुला के आदेश दिनांक 03.07.2018 अनुसार प्राप्त होने पर तहरीर बराये कायमी मुकदमा बादस्त इ.एच.सी. रमेश कुमार 1178/अम्बाला के थाना राज्य चौकसी ब्यूरों पंचकुला भेजी जा रही है और बाद कायमी मुकदमा स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजीस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाये तथा मिशल मुकदमा आगामी अनुसंधान हेतू अनुसंधान अधिकारी श्री रणधीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के हवाले की जाए । Sd दीपक कुमार निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों उप केन्द्र यमुनानगर । दिनांक 06.07.2018 AT 12.30 Pm अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 04 दिनांक 06.07.2018 धारा 13(1)(C) PC ACT 1988 Section 175,192,193,201,204,218,409 120 B भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो सैक्टर 17 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया जाकर स्पैशल रिपोर्ट बादस्त स्पैशल मैसेन्जर इ.एच.सी. रमेश कुमार 1178/अम्बाला के इलाका मैजीस्ट्रेट साहब जगाधरी (यमुनानगर) की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतू श्री रणधीर सिंह ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के हवाले की गई । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया। सी.सी.टी.एन.एस. में रणधीर सिंह ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक की आई.डी. न होने के कारण सुरेश कुमार ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक की आई.डी. में प्र0सू0रि0 को अंकित किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Randheer Singh ~~Suresh Kumar~~ (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/hps **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण स्थानांतरित)

/informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

सुरेश कुमार 6/7/18

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Suresh Kumar

Rank (पद): ~~Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)~~ INSP

No. (सं.): ~~hps~~ 191/HAP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				Is Proxitted: Yes
2	Male	1978				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)